

पत्रांक -3/एम०-08/2018सा0प्र0...774/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक ...16-1-2020

विषय— सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवान्त लाभों की स्वीकृति में विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3014 दिनांक-31.07.1980 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को ससमय सेवान्तीय लाभ स्वीकृत किये जाने के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत है।

2. पुनः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-922 दिनांक-18.09.2019 द्वारा उक्त विषय के संदर्भ में निम्नांकित निदेश परिचारित किया गया है—

(i) पेंशन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3014 दिनांक-31.07.1980 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ii) पेंशन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान में विलंब करने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित करने, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रावधान किया जाय।

(iii) अपने विभाग से संबंधित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/निदेशालयों के लंबित सेवान्त लाभ के मामलों को विभागीय स्तर पर समेकित कर पेंशन/सेवान्त लाभ से संबंधित मासिक रिपोर्ट वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के लिए विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाय।

(iv) विभाग स्तर पर पाक्षिक लंबित सेवान्त लाभों की समीक्षा की जाय।

3. परन्तु इसके बावजूद भी कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवान्तीय लाभों के भुगतान में अतिशय विलम्ब हुआ है। माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा भी इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।
4. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के सेवान्तीय लाभों की स्वीकृति में जानबूझकर किये गए विलम्ब को, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के अन्तर्गत, विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी का कदाचार माना जायेगा। उक्त कदाचार के लिए संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
5. कृपया अपने अधीनस्थों को भी उक्त निदेश का अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

14/1/2020
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।